

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III/154

दिनांक :- 05-02-2018

आदेश संख्या 330/2017-18

निम्नांकित कनिष्ठ लेखाकारों को क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर में दिनांक 05.02.2018 से 28.03.2018 तक आयोजित होने वाले कनिष्ठ लेखाकार पद के आठ सप्ताह के संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिनांक 05.02.2018 को प्रातः 9.30 बजे संस्थानिक प्रशिक्षण के लिए उपस्थिति देने हेतु मनोनीत किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार/पिता का नाम जन्म तिथि, मेरिट क्रमांक/वर्ष	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)
1	MAHENDRA CHOUHAN CHAMPA LAL 28/09/1992 [1995 / 2013]	JOINT DIRECTOR MEDICAL AND HEALTH JODHPUR - 20196
2	VAISHALI GOYAL SUNIL GOYAL 10/12/1992 [2103 / 2013]	BLOCK RESOURCE CENTRE SSA (CITY), RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION (EX CADRE POSTS), JODHPUR - 1000469
3	GOPI RAM OM PRAKASH 10/04/1991 [2032 / 2013]	SUPDT. CENTRAL JAIL HOME DEPARTMENT JODHPUR - 6242
4	AKANSHA CHOUDHARY RAM JEEVAN CHOUDHARY 28/06/1991 [2275 / 2013]	MEDICAL OFFICER CHC MEDICAL AND HEALTH BHOPALGARH - JODHPUR - 23323
5	BHARAT RAJPUROHIT ANAND SINGH 29/12/1987 [2963 / 2013]	CCF (WL) FOREST DEPARTMENT JODHPUR - 19344
6	DEEPIKA SOLANKI HEERA LAL SOLANKI 22/05/1989 [3074 / 2013]	PRINCIPAL ITI EDUCATION TECHNICAL (TRAINING) JODHPUR - 19487
7	DHARMI GHANSHYAM 06/07/1988 [2872 / 2013]	PRINCIPAL DR. SAMPURNAND MEDICAL COLLEGE MEDICAL EDUCATION JODHPUR - 1910
8	DHEERENDRA KUMAR BANSI LAL 16/11/1985 [2099 / 2013]	X. EN PROJECT DIV PHED BALESAR - JODHPUR - 9666
9	DINESH KUMAR SURAJ PRAKASH 10/11/1987 [1237 / 2013]	SECRETARY JoDA (EX CADRE POSTS) JODHPUR - 1000456
10	DINESH SIRVI TIKA RAM 11/01/1993 [3139 / 2013]	MEDICAL OFFICER CHC MEDICAL AND HEALTH BILADA - JODHPUR - 23320
11	YUVRAJ SINGH PRAKASH SINGH 11/07/1984 [2923 / 2013]	DIRECTOR EDUCATION TECHNICAL (POLYTECHNIC) JODHPUR - 1045

12	GANESH KUMAR RANGA MURLIDHAR RANGA 24/10/1974 [2092 / 2013]	JOINT DIRECTOR MEDICAL AND HEALTH JODHPUR - 20196
13	GARIMA BHATT AMAR CHAND BHATT 02/04/1983 [3063 / 2013]	RESEARCH OFFICER REGIONAL SCIENCE CENTER SCIENCE AND TECHNOLOGY JODHPUR - 963
14	GAYATRI PAPPA RAM 02/03/1993 [2368 / 2013]	JOINT DIRECTOR MEDICAL AND HEALTH JODHPUR - 20196
15	RAJU RAM BENIWAL BHAKAR RAM 05/01/1989 [3043 / 2013]	MEDICAL OFFICER CHC MEDICAL AND HEALTH LUNI - JODHPUR - 23331
16	JAYKISHAN MEHKA RAM VISHNOI 05/01/1993 [2837 / 2013]	DY. DIRECTOR EDUCATION (SECONDARY) JODHPUR - 13124
17	KHUSHBOO KHUMIYADA MADAN LAL 17/07/1994 [2907 / 2013]	SUPDT. ESI HOSPITAL MEDICAL AND HEALTH (ESI) JODHPUR - 13913
18	KIRAN BISHNOI PUKHARAM BISHNOI 05/08/1994 [2254 / 2013]	BLOCK RESOURCE CENTRE SSA RAJASTHAN COUNCIL OF ELEMENTARY EDUCATION (EX CADRE POSTS) LUNI - JODHPUR - 1000471
19	MANOJ KUMAR REGAR RAMESHVAR LAL REGAR 05/05/1990 [2091 / 2013]	Police Commandos Training School HOME DEPARTMENT JODHPUR - 31226
20	PINKU DUKIYA SUKHA RAM DUKIYA 10/04/1990 [2679 / 2013]	DIRECTOR EDUCATION TECHNICAL (TRAINING) JODHPUR - 23594

उक्त प्रशिक्षण का समय प्रातः 09:30 से सायं 06:00 बजे तक रहेगा। यह प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को आवास व खान-पान आदि की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर करनी होगी तथा प्रशिक्षण अवधि आठ सप्ताह (सात सप्ताह का संस्थानिक प्रशिक्षण व एक सप्ताह का परीक्षा कार्यक्रम) की होगी। उक्त प्रशिक्षण अवधि में सभी प्रशिक्षणार्थियों को वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान उनके वर्तमान पदस्थापन कार्यालय द्वारा ही किया जायेगा।

उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकारों को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 32(2) के अनुसार प्रशिक्षण प्राप्त कर विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। अतः सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि वे उनके कार्यालय/विभाग में कार्यरत उपरोक्त समस्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त करें। किसी भी कनिष्ठ लेखाकार को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।

यदि कोई कनिष्ठ लेखाकार प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण अवधि की समाप्ति के एक वर्ष की अवधि में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा से त्यागपत्र देना चाहेगा अथवा अन्य पद ग्रहण करना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उसके द्वारा प्राप्त समस्त प्रकार के वेतन-भत्ते तथा प्रशिक्षण पर हुए व्यय की दो गुना राशि का भुगतान एकमुश्त राजकोष में जमा कराना आवश्यक होगा। सभी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते ही निर्धारित प्रपत्र (संलग्न) में बाण्ड भरकर सम्बन्धित पाठ्यक्रम निदेशक को प्रस्तुत करेंगे।

प्रशिक्षण की समाप्ति उपरान्त उपरोक्त सभी कनिष्ठ लेखाकार अपने वर्तमान पदस्थापन कार्यालय में ही उपस्थिति देंगे। उक्त आदेश निदेशालय के पूर्व ओदश संख्या 321/2017-18 दिनांक 01.02.2018 के क्रम में जारी किये जाते हैं।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/क.ले. प्रशि./2017/अलेसे-III /154

दिनांक :- 05-02-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निदेशक, ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
2. प्रभारी अधिकारी, (प्रशिक्षण एवं आयोजना) ह.च.मा. राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, हरिश चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (रीपा), जोधपुर को मय बाण्ड फार्म प्रेषित कर अनुरोध है कि बाण्ड फार्म कनिष्ठ लेखाकारों से पूर्ती करवाकर इस विभाग को शीघ्र भिजवाने की व्यवस्था करें एवं उपरोक्त कनिष्ठ लेखाकारों को प्रशिक्षण की समाप्ति पर कॉलम संख्या 3 में अंकित विभाग/कार्यालय के लिए कार्यमुक्त कर निदेशालय को सूचित करें।
4. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष.....
.....को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कर्मचारी को प्रशिक्षण हेतु आवश्यक रूप से कार्यमुक्त कर इस विभाग को अवगत करावें क्योंकि किसी भी कार्मिक को प्रशिक्षण से मुक्त रखना संभव नहीं होगा।
5. श्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय
को प्रेषित कर लेख है कि उक्त संस्थानिक प्रशिक्षण कार्यक्रम में नियत तिथी/समय पर उपस्थित होकर उपस्थिति की सूचना निदेशालय को अविलम्ब भिजवाना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमानुसार की जाने वाली अनुशासनिक कार्यवाही के लिए तथा निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करने के प्रतिफल के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदय।
7. उपनिदेशक (एसीपी) कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु)।
8. रक्षित/निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-III)